



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 02.01.2025

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माह दिसम्बर – 2024 में मा0 न्यायालय द्वारा 77 अभियोगों में 96 अभियुक्तों को कारावास एवं अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप माह दिसम्बर – 2024 में जनपद बिजनौर के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 77 अभियोगों में 96 अभियुक्तों को दण्डित किया गया, जिसमें से **10 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। विवरण निम्नवत है।

दिनांक 01.12.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक दण्डित किये गये अभियुक्तों का विवरण –

क्र0 स0	थाना	मु0अ0स0	धारा	दि0 सजा	अपराध शीर्षक	सजा	अभि0 सख्या
1	कोतवाली शहर	521/1989	457/380/411 भादवि	02.12.2024	जघन्य	जेल में बिताई अवधि व 2000/- रु0 अर्थदण्ड	1
2	धामपुर	571/1993	323/324/504 भादवि	03.12.2024	अन्य	मा0 न्या0 उठने तक की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
3	कोतवाली शहर	940/1994	379/411 भादवि	02.12.2024	जघन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 500/- रु0 अर्थदण्ड	1
4	नगीना	693/2004	25 आर्म्स एक्ट	03.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
5	नगीना	174/2002	4/25 आर्म्स एक्ट	03.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 500/- रु0 अर्थदण्ड	1
6	अ0गढ	396/2012	25 आर्म्स एक्ट	03.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 2000/- रु0 अर्थदण्ड	1

7	नूरपुर	329/2019	302 भादवि	04.12.2024	जघन्य	आजीवन कारावास की सजा व 50000/- अर्थदण्ड से दण्डित ।	1
8	किरतपुर	404/2014	136/137 विद्युत अधि०	04.12.2024	अन्य	04 माह कारावास की सजा व 2000/- रु० अर्थदण्ड से दण्डित ।	1
9	नगीना	224/2005	4/25 आर्म्स एक्ट	04.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 200/- रु० अर्थदण्ड	1
10	अ०गढ	224/2005	4/25 आर्म्स एक्ट	04.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 500/- रु० अर्थदण्ड	1
11	शिवाला कलां	90/2015	379 भादवि	03.12.2024	जघन्य	03 वर्ष कारावास सजा व 500/- अर्थदण्ड	1
12	धामपुर	365/1994	224 भादवि	04.12.2024	अन्य	मा० न्या० उठने तक की सजा व 600/- रु० अर्थदण्ड	1
13	कोतवाली शहर	878/2021	294 भादवि	05.12.2024	अन्य	मा० न्या० उठने तक की सजा व 300/- अर्थदण्ड	1
14	नगीना	400/2017	138बी विद्युत अधिनियम 2003	06.12.2024	अन्य	मा० न्या० उठने तक की सजा व 1000/- रु० अर्थदण्ड	1
15	कोतवाली देहात	11/2000	4/25 आर्म्स एक्ट	06.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु० अर्थदण्ड	1
16	नजीबाबाद	196/1993	452/323/506/504 भादवि	07.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 2000/- रु० अर्थदण्ड	1
17	नजीबाबाद	74/1994	379/411 भादवि	07.12.2024	जघन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 2000/- रु० अर्थदण्ड	1
18	मण्डावर	104/2018	138 बी विद्युत अधिनियम 2003	07.12.2024	अन्य	मा० न्या० उठने तक की सजा व 1000/- रु० अर्थदण्ड	1
19	नहटौर	346/2016	2/3 गैंगस्टर एक्ट	07.12.2024	अन्य	02 वर्ष कारावास की सजा व 5000/- रु० अर्थदण्ड	1
20	हल्दौर	03/2019	2/3 गैंगस्टर एक्ट	07.12.2024	अन्य	02 वर्ष कारावास की सजा व 5000/- रु० अर्थदण्ड	1

21	नहतौर	405/2012	411/413/420/467 /468/471 भादवि	06.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 5000/- रु0 अर्थदण्ड	4
22	हीमपुर दीपा	373/2018	138बी विद्युत अधिनियम 2003	09.12.2024	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
23	किरतपुर	71/2020	32/34,323/34,50 4,506 भादवि	09.12.2024	जघन्य	आजीवन कारावास व 10000/- का अर्थदण्ड	1
24	रेहड	32/2021	354ख/323/504/5 06 भादवि व 8 पॉक्सो एक्ट	10.12.2024	पॉक्सो	1.अभि0 सागर को 04 वर्ष कारावास की सजा व 35 हजार रु0 अर्थदण्ड 2.अभि0 अरुण कुमार को 03 वर्ष 02 माह कारावास की सजा व 15 पन्द्रह हजार रु0 अर्थदण्ड	2
25	कोतवाली शहर	2803/08	4/25 आर्म्स एक्ट	10.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 700/- रु0 अर्थदण्ड	1
26	कोतवाली शहर	113/2003	4/25 आर्म्स एक्ट	10.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
27	चांदपुर	528/1992	3/10 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप आदि	10.12.2024	अन्य	प्रत्येक को मा0 न्या0 उठने तक की सजा व प्रत्येक को 1000/- रु0 अर्थदण्ड	3
28	नगीना	09/2010	4/25 आर्म्स एक्ट	10.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
29	अ0गढ	162/2000	25 आर्म्स एक्ट	10.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 2000/- रु0 अर्थदण्ड	1
30	कोतवाली शहर	248/2015	307/34,452,504 भादवि	11.12.2024	जघन्य	प्रत्येक को 10 वर्ष कारावास की सजा व प्रत्येक को 32 हजार रुपये अर्थदण्ड ।	3
31	अ0गढ	205/2004	25 आर्म्स एक्ट	11.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
32	नगीना	97/2024	3/25 आर्म्स एक्ट	11.12.2024	अन्य	9 माह कारावास की सजा व 1500/- रु0 अर्थदण्ड	1

33	नगीना	65/2024	379/411 भादवि	11.12.2024	जघन्य	9 माह कारावास की सजा व 5000/- रु0 अर्थदण्ड	1
34	कोतवाली शहर	1109/23	302/201/120बी/3 4 भादवि	12.12.2024	जघन्य	प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 30 हजार रुपये अर्थदण्ड	3
35	नगीना देहात	709/2004	4/25 आर्म्स एक्ट	12.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 200/- रु0 अर्थदण्ड	1
36	को0 देहात	439/2000	25 आर्म्स एक्ट	12.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
37	नगीना देहात	202/2000	188 भादवि	11.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 200/- रु0 अर्थदण्ड	1
38	चांदपुर	476/2022	363/376 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट	13.12.2024	पॉक्सो	03 वर्ष कारावास की सजा व 5000/- रु0 अर्थदण्ड	1
39	मण्डावर	154/2017	323/377/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट/4(2) पॉक्सो एक्ट	13.12.2024	पॉक्सो	20 वर्ष कारावास व 11500/- रु0 अर्थदण्ड	1
40	किरतपुर	199/1995	292 भादवि व 3/63 कॉपी राईट एक्ट	12.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 2000/- रु0 अर्थदण्ड	2
41	नगीना देहात	08/2002	4/25 आर्म्स एक्ट	13.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 200/- रु0 अर्थदण्ड	1
42	अ0गढ	978/2009	4/25 आर्म्स एक्ट	13.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
43	कोतवाली शहर	1553/08	294/504/506 भादवि	14.12.2024	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 2000/-रु0 अर्थदण्ड	1
44	नहतौर	78/2013	279/338/427 भादवि	14.12.2024	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 1500/-रु0 अर्थदण्ड	1
45	नहतौर	89/2011	4/25 आर्म्स एक्ट	14.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 500/- रु0 अर्थदण्ड	1

46	स्योहारा	126/2018	376घ/34,354,506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट	16.12.2024	पॉक्सो	प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 40 हजार रुपये का अर्थदण्ड	4
47	बढापुर	151/2021	302/201/120बी भादवि	16.12.2024	जघन्य	आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार अर्थदण्ड से दण्डित	1
48	कोतवाली देहात	980/2005	25 आर्म्स एक्ट	16.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
49	कोतवाली शहर	881/1992	4/25 आर्म्स एक्ट	16.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
50	नहतौर	117/2017	138 बी विद्युत अधिनियम	16.12.2024	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
51	धामपुर	1481/09	25 आर्म्स एक्ट	17.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
52	अ0गढ	747/2008	4/25 आर्म्स एक्ट	17.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
53	शिवाला कलां	328/2002	379/411 भादवि	17.12.2024	जघन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 2000/- रु0 अर्थदण्ड	1
54	नांगल	103/2024	304/323/504/506 भादवि	18.12.2024	जघन्य	08 वर्ष कारावास व 22000/-रु0 अर्थदण्ड	1
55	शेरकोट	216/2019	4/25 आर्म्स एक्ट	14.12.2024	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 1500/-रु0 अर्थदण्ड	1
56	शेरकोट	186/2020	13 जुआ एक्ट	14.12.2024	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 100/-रु0 अर्थदण्ड	1
57	स्योहारा	186/2020	13 जुआ एक्ट	14.12.2024	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 400/-रु0 अर्थदण्ड	1
58	स्योहारा	463/2002	4/25 आर्म्स एक्ट	14.12.2024	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 600/-रु0 अर्थदण्ड	1

59	शेरकोट	127/2010	4/25 आर्म्स एक्ट	14.12.2024	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 800/-रु0 अर्थदण्ड	1
60	शेरकोट	311/2010	4/25 आर्म्स एक्ट	17.12.2024	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
61	स्योहारा	490/2020	294 भादवि	14.12.2024	अन्य	प्रत्येक को मा0न्या0 उठने तक की सजा व प्रत्येक को 1000/-रु0 अर्थदण्ड	2
62	शेरकोट	265/2019	429 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि0	14.12.2024	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 2000/-रु0 अर्थदण्ड	1
63	शेरकोट	228/2020	13 जुआ एक्ट	14.12.2024	अन्य	प्रत्येक को मा0न्या0 उठने तक की सजा व प्रत्येक को 300/-रु0 अर्थदण्ड	2
64	स्योहारा	743/2017	13 जुआ एक्ट	14.12.2024	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 500/-रु0 अर्थदण्ड	1
65	शेरकोट	690/2009	4/25 आर्म्स एक्ट	14.12.2024	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 1000/-रु0 अर्थदण्ड	1
66	शेरकोट	288/2023	13 जुआ एक्ट	14.12.2024	अन्य	मा0न्या0 उठने तक की सजा व 100/-रु0 अर्थदण्ड	1
67	धामपुर	155/2020	363/376(3) भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट	19.12.2024	पॉक्सो	20 वर्ष कारावास की सजा व 35000/- रु0 अर्थदण्ड	1
68	किरतपुर	185/2013	136 विद्युत अधिनियम 2003	19.12.2024	अन्य	04 माह कारावास की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
69	शेरकोट	342/2022	13 जुआ एक्ट	18.12.2024	अन्य	प्रत्येक को मा0 न्या0 उठने तक की सजा व प्रत्येक को 200/- रु0 अर्थदण्ड	2

70	शेरकोट	53/2003	379/411 भादवि	18.12.2024	जघन्य	प्रत्येक को जेल में बिताई अवधि की सजा व प्रत्येक को 5000/- रु0 अर्थदण्ड	2
71	शेरकोट	40/2023	13 जुआ एक्ट	18.12.2024	अन्य	मा0 न्या0 उठने तक की सजा व 300/- रु0 अर्थदण्ड	1
72	नगीना	30/2002	279/337/304ए/42 7 भादवि	19.12.2024	जघन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 4500/- रु0 अर्थदण्ड	1
73	अ0गढ	82/2003	25 आर्म्स एक्ट	19.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 2000/- रु0 अर्थदण्ड	1
74	स्योहारा	345/2021	307/324/34 भादवि	20.12.2024	जघन्य	अभियुक्तगणों को धारा 324/34 भादवि में 02-02 वर्ष का साधारण कारावास व 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।	2
75	को0 देहात	215/2001	39/40 ई0सी0 एक्ट	21.12.2024	अन्य	मा0 न्या0 उठने तक की सजा व 3000/- रु0 अर्थदण्ड	1
76	नगीना	350/2019	4/25 आर्म्स एक्ट	21.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 1000/- रु0 अर्थदण्ड	1
77	नगीना	966/2005	4/25 आर्म्स एक्ट	21.12.2024	अन्य	जेल में बिताई अवधि की सजा व 500/- रु0 अर्थदण्ड	1



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 02.01.2025

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा 363 भादवि व धारा 8 पॉक्सो अधिनियम से संबंधित अभियुक्त को 3 वर्ष 06 माह के कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 01.03.2019 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त मोहित पुत्र गजेन्द्र निवासी मौहल्ला पहाड पुरानी शराब की हट्टी के सामने राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर, वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 075/2019 धारा 363 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 02.01.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो एक्ट जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 075/2019 धारा 363 भादवि व धारा 8 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी अभियुक्त मोहित पुत्र गजेन्द्र निवासी मौहल्ला पहाड पुरानी शराब की हट्टी के सामने राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को 03 वर्ष 06 माह के कारावास व कुल 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की धनराशि 20,000/- रुपये मे से 15,000/- रुपये पीडिता को प्रतिकर के रूप मे देय होंगे ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

1- मोहित पुत्र गजेन्द्र निवासी मौहल्ला पहाड पुरानी शराब की हट्टी के सामने राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।



BIJNOR POLICE



थाना साइबर क्राइम, जनपद बिजनौर

दिसम्बर - 2024

थाना साइबर क्राइम, जनपद बिजनौर द्वारा दिसम्बर - 2024 में 14 व्यक्तियों के साथ हुई ऑनलाइन रुपयों की धोखा धडी में कुल 10,02,839/- रुपये वापस कराये गये

थाना साइबर क्राइम जनपद बिजनौर द्वारा निम्न शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरूप पीडितों के बैंक खातों से निकाले गये रुपयों को वापस कराया गया। रुपये वापस मिलने पर पीडितों द्वारा बिजनौर पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र०स०	थाना	प्रा०पत्र सं०/ मु०अ०सं०	बरामद धनराशि	माध्यम
1	चाँदपुर	NCRP- 47423	5,00,000/-	यूपीआई
2	नगीना	FIR- 252/2024	3499/-	यूपीआई
3	थाना साइबर क्राइम	FIR- 24/2024	50,117/-	यूपीआई
4	नजीबाबाद	NCRP- 22743	1,45,500/-	क्रेडिट कार्ड
5	कोतवाली शहर	NCRP- 77220	39,000/-	यूपीआई
6	थाना साइबर क्राइम	FIR- 15/2024	51,725/-	आरटीजीएस
7	कोतवाली शहर	NCRP- 93857	50,000/-	यूपीआई
8	नुरपूर	NCRP- 82609	13,000/-	यूपीआई
9	स्योहारा	NCRP- 01850	24,498/-	क्रेडिट कार्ड
10	नगीना	NCRP- 51779	6,000/-	यूपीआई
11	हल्दौर	NCRP -28321	50,000/-	यूपीआई
12	मण्डावर	NCRP- 61183	30,000/-	यूपीआई
13	नजीबाबाद	NCRP- 07759	35,000/-	यूपीआई
14	कोतवाली शहर	NCRP- 39225	4500/-	यूपीआई
कुल योग			10,02,839/-	



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 02.01.2025

थाना नगीना पुलिस ने टॉप-10 अपराधी / हिस्ट्रीशीटर एवं चोरी के विभिन्न अभियोगों में
वांछित 25,000/- रुपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि थाना नगीना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 228/2024 धारा 305(क),331(4) बी0एन0एस0, मु0अ0सं0 200/2024 धारा 305(क),331(4) बी0एन0एस0, मु0अ0सं0 240/2024 धारा 305(क),331(4) बी0एन0एस0 एवं मु0अ0सं0 273/2024 धारा 249(ख)/317(5) बी0एन0एस0 व धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम में वांछित/फरार अभियुक्त नौशाद पुत्र कमरुद्दीन निवासी ग्राम आले अलीपुर थाना नगीना, जनपद बिजनौर एक शातिर अपराधी है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त नौशाद उपरोक्त थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0



10/2024 धारा 457/380/427 भा0दं0वि0, थाना शेरकोट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 160/2024 धारा 305(क),331(4) बी0एन0एस0 मे भी वांछित है। अभियुक्त नौशाद उपरोक्त थाना नगीना का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया था।

कार्यवाही –

थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त पुरस्कार घोषित अभियुक्त नौशाद उपरोक्त को मौ0 मालवानी थाना मालवानी उप नगर मलाड मुम्बई (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्यायालय महानगर दण्डाधिकारी बोरीवली मुम्बई (महाराष्ट्र) के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 03.01.2025 तक का ट्रांजिट रिमाण्ड स्वीकृत कराकर जनपद बिजनौर लाया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त नौशाद उपरोक्त शातिर चोर है, जिसके विरुद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों पर करीब ढाई दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त नौशाद मुख्यतः बंद पडे मकानों को निशाना बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नौशाद पुत्र कमरुद्दीन निवासी ग्राम आले अलीपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर

अभियुक्त नौशाद का आपराधिक इतिहास –

- 1-मु0अ0सं0 420/2015 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना नगीना, जनपद बिजनौर
- 2-मु0अ0सं0 442/2015 धारा 419/420/467/468/471 भा0दं0वि0 थाना नगीना, जनपद बिजनौर
- 3- मु0अ0सं0 56/2017 धारा 380 भा0दं0वि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 4- मु0अ0सं0 72/2017 धारा 420/467/468/471/414 भा0दं0वि0 थाना शेरकोट, जनपद बिजनौर
- 5- मु0अ0सं0 100/2017 धारा 379/411 भा0दं0वि0 थाना कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर
- 6- मु0अ0सं0 120/2017 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर
- 7- मु0अ0सं0 267/2017 धारा 379/411 भा0दं0वि0 थाना नहतौर, जनपद बिजनौर
- 8- मु0अ0सं0 283/2017 धारा 379/411 भा0दं0वि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 9- मु0अ0सं0 553/2017 धारा 379/414 भा0दं0वि0 थाना धामपुर, जनपद बिजनौर
- 10- मु0अ0सं0 613/2017 धारा 323/498ए/363 भा0दं0वि0 व 3/4 द0प्र0 अधि0 थाना धामपुर बिजनौर
- 11- मु0अ0सं0 635/2017 धारा 380/411 भा0दं0वि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 12- मु0अ0सं0 636/2017 धारा 380/411 भा0दं0वि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 13- मु0अ0सं0 638/2017 धारा 380/411 भा0दं0वि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 14-मु0अ0सं0 911/2017 धारा 25 शस्त्र अधिनियम थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर
- 15-मु0अ0सं0 452/2019 धारा 379 भा0दं0वि0 थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर
- 16-मु0अ0सं0 192/2020 धारा 379 भा0दं0वि0 थाना नहतौर, जनपद बिजनौर
- 17-मु0अ0सं0 36/2021 धारा 380/457/411/414 थाना कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर
- 18-मु0अ0सं0 68/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली देहात, जनपद बिजनौर
- 19-मु0अ0सं0 94/2021 धारा 379 भा0दं0वि0 नहतौर, जनपद बिजनौर
- 20-मु0अ0सं0 206/2021 धारा 411/420/467/468/471 भा0दं0वि0 थाना नगीना, जनपद बिजनौर
- 21-मु0अ0सं0 141/2022 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना नगीना, जनपद बिजनौर
- 22-मु0अ0सं0 10/2024 धारा 380/411/427/457 भा0दं0वि0 थाना कोतवाली देहात, बिजनौर
- 23- मु0अ0सं0 160/2024 धारा 305(क),331(4) बी0एन0एस0 थाना शेरकोट, जनपद बिजनौर
- 24- मु0अ0सं0 169/2024 धारा 109 बी0एन0एस0 व 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना शेरकोट, बिजनौर
- 25-मु0अ0सं0 200/2024 धारा 305(क),331(4) बी0एन0एस0 थाना नगीना, जनपद बिजनौर
- 26-मु0अ0सं0 228/2024 धारा 305(क),331(4) बी0एन0एस0 थाना नगीना, जनपद बिजनौर
- 27-मु0अ0सं0 240/2024 धारा 305(क),331(4) बी0एन0एस0 थाना नगीना, जनपद बिजनौर
- 28-मु0अ0सं0 273/2024 धारा 249(ख)/317(5) बी0एन0एस0 व धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री गजेन्द्र उज्जवल थाना नगीना बिजनौर
- 2.कां0 1056 अंकित सोलानिया थाना नगीना बिजनौर
- 3.कां0 1834 सचिन कुमार थाना नगीना बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा

दिनांक – 02.01.2025

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 01/2025 धारा 115(2) / 140(1) बीएनएस से सम्बंधित 03 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त गाडी सहित किया गिरफ्तार । अपहृत सकुशल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.01.2025 को वादी श्री आकाशपाल सिंह पुत्र महाराज सिंह निवासी ग्राम भवानीपुर गंगरैन थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि दिनांक 01.01.2025 को सांय के समय वादी का पुत्र दमन कुमार (उम्र 28 वर्ष) अपने नलकूप पर गया था । इसी दौरान 1.गुलाब सिंह पुत्र महेश सिंह 2.हिमांशु कुमार पुत्र अजब सिंह 3.शिकांशु उर्फ कान्नी पुत्र नरेश कुमार निवासीगण ग्राम भवानीपुर गंगरैन थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 4.विकास उर्फ विक्की पुत्र कालू निवासी ग्राम वीरोपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र दमन के साथ मारपीट की गयी तथा आल्टो गाडी में अपने साथ ले गये । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 01/2025 धारा 115(2)/140(1) बीएनएस बनाम गुलाब सिंह आदि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 02.01.2025 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित 03 अभियुक्तगण 1.गुलाब सिंह पुत्र महेश सिंह 2.शिकांशु उर्फ कान्नी पुत्र नरेश कुमार निवासीगण ग्राम भवानीपुर गंगरैन थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 3.विकास उर्फ विक्की पुत्र कालू निवासी ग्राम विरोपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त आल्टो गाडी नं0 UK07AN7511 सहित गिरफ्तार कर अपहृत दमन कुमार को सकुशल बरामद किया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.गुलाब सिंह पुत्र महेश सिंह निवासी ग्राम भवानीपुर गंगरैन थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 2.शिकांशु उर्फ कान्नी पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम भवानीपुर गंगरैन थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 3.विकास उर्फ विक्की पुत्र कालू निवासी ग्राम विरोपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

अपहृत दमन कुमर (उम्र 28 वर्ष)

घटना में प्रयुक्त आल्टो गाडी नं0 UK07AN7511

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.व0उ0नि0 श्री कर्मवीर सिंह तालान थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्रीम मुकेश कुमर थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
- 3.उ0नि0 श्री सोनू कुमर थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
- 4.उ0नि0 श्री कुलवीर सिंह थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
- 5.उ0नि0 श्री रजत सिंह थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
- 6.कां0 1960 शिवशंकर थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
- 7.कां0 2495 विशाल कुमर थाना हीमपुर दीपा बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 02.01.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही विवरण –

आज दिनांक 02.01.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त फरमान उर्फ अब्दुल्ला पुत्र अकबर निवासी ग्राम दीपावाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया। बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 04/2025 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फरमान उर्फ अब्दुल्ला पुत्र अकबर निवासी ग्राम दीपावाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

एक अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. हे0का0 420 राजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
2. का0 1036 सुमित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 02.01.2025

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 596/24 धारा 126(2)/109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.12.2024 को वादी राजकुमार पुत्र नृपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सद्दोबेरखा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.मनोज कुमार निवासी नामालूम 2.कपिल पुत्र दलीप सिंह निवासी ग्राम रामखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 3.विनीत पुत्र बलकरन निवासी ग्राम सद्दोबेरखा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 4.लवकुश पुत्र भगत निवासी ग्राम सद्दोबेरखा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी का रास्ता रोककर वादी के सिर में जान से मारने की नियत से सरिया व लाठी डण्डो से वार किया, जिससे वादी को सिर में चोट आयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 596/24 धारा 126(2)/109(1) बीएनएस बनाम मनोज आदि कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया । थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त 1.कपिल व 2.विनीत को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 02.01.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त लवकुश पुत्र भगत जी निवासी ग्राम सद्दोबेरखा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

लवकुश पुत्र भगत जी निवासी ग्राम सद्दोबेरखा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 असकर खान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.आरक्षी 1111 हरीपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर